[2018] 14 एस. सी. आर. 1082

ज़हूर अहमद राथर और अन्य आदि

बनाम

शेख इम्तियाज अहमद और अन्य आदि

(सिविल अपील संख्या 11853 – 11854/2018)

05 दिसंबर, 2018

[न्यायमूर्ति, यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति, डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

सेवा कानूनः

चयन–"तकनीशियन III" के पदों को भरने के लिए विज्ञापन–पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता "आईटीआई के साथ मैट्रिक" थी–अपीलार्थीगण ने पद के लिए आवेदन दिया–उन सभी के पास डिप्लोमा था और उनमें से किसी के पास भी आईटीआई प्रमाणन नहीं था–उन्हें लिखित परीक्षा के साथ–साथ साक्षात्कार के लिए भी बुलाया गया था– इसके बाद सेवा चयन बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस पद के लिए केवल संबंधित व्यापार में आईटीआई पर विचार किया जाएगा–अपीलार्थीगण को चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था–अपीलार्थीगण ने पद पर चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए रिट याचिकाएं दायर कीं और चयन सूची को रद्द करने की मांग की–उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने चयन सूची को रद्द करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपीलार्थीगण को बाहर करने के लिए यह प्रावधान नहीं था – और चूंकि आई टी आई के अपेक्षा डिप्लोमा उच्च योग्यता है इसलिए अपीलार्थीगण की योग्यता उक्त पद के लिए पर्याप्त है – लेटर्स पेटेंट अपील में उच्च न्यायालय की डिविजन खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को पलट दिया – अपील पर अभिनिर्धारित :

बोर्ड ने नियमों या मध्य–धारा चयन को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया– इसने केवल उस योग्यता का पालन करने का संकल्प लिया जो विज्ञापन में निर्धारित की गई थी–यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं होगी कि एक उच्च योग्यता अनिवार्य रूप से निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाती है–यह राज्य को यह निर्धारित करना है कि क्या किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं–विज्ञापन के नोट 12 में यह शर्त कि बोर्ड एक सक्षम शक्ति के अनुसरण में बोर्ड में निहित उच्च योग्यता के लिए अतिरिक्त महत्व देने का हकदार था, जिसका प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है–

एक उम्मीदवार को यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि बोर्ड को एक अधिदेश के रूप में उच्च योग्यता को अतिरिक्त महत्व देना चाहिए–

इसलिए, खंड पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित करना सही था कि अपीलकर्ता निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते थे–हालाँकि, चूंकि अपीलार्थीगण ने नौकरी के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने में लगभग चार साल बिताए हैं और हो सकता है कि वे आयु वर्जित हो गए हों, इसलिए उन्हें अगले दो वर्षों में राज्य द्वारा विज्ञापित किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए चार साल की सीमा तक आयु में छूट दी जाती है।

न्यायिक समीक्षाः

योग्यता का निर्धारण– किसी पद पर भर्ती के लिए–न्यायिक समीक्षा–अनुज्ञेय–अभिनिर्धारित–किसी पद के लिए योग्यता का निर्धारण भर्ती नीति का विषय है–यह निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना, न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है–इसी तरह योग्यता की समानता भी ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.विद्युत विका सविभाग में तकनीशियन–III के पद के लिए निर्धारित योग्यता संबंधित व्यापार में आई टी आई के साथ मैट्रिक है। बोर्ड ने अपनी 116 वीं बैठक में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुछ जिलों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, जबकि अन्य जिलों में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों को तकनीशियन–III के पद के लिए पात्र नहीं माना गया था। इसके अलावा, विभिन्न शाखाओ में आई. टी. आई. वाले उम्मीदवारों का भी इस पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था। बोर्ड ने अपनी बैठक में संकल्प लिया कि संबंधित शाखा में केवल आई. टी. आई. अर्थात व्यापार विज्ञापन में निर्दिष्ट निर्धारित योग्यता है ।

2. बोर्डनेमध्य–धारा चयन को नियंत्रित करने वाले नियमों या मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया। मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के पद के लिए निर्धारित आवश्यकता से कोई विचलन नहीं था। वास्तव में बोर्ड ने विज्ञापन में निर्धारित योग्यता का पालन करने का संकल्प लिया। एक विसंगति पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके परिणाम स्वरूप, निर्धारित योग्यताओं के बावजूद, कुछ जिलों में डिप्लोमा धारकों के साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन था और बोर्ड द्वारा इसे ठीक किया गया था।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के साथ दूसरा आधार यह था कि डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता के उच्च पद के लिए पात्र है और इसलिए डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार को आई. टी. आई. की निम्न योग्यता रखने के लिए "पूर्व–अनुमानित" होना चाहिए। इस तरह के नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं होगी कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से किसी अन्य योग्यता के अधिग्रहण से पहले होती है, भले ही वह कम हो। किसी पद के लिए योग्यता का मानक भर्ती नीति का विषय है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। यह निर्धारित योग्यताओं के दायरे में विस्तार करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सान हीं है। इसी तरह, किसी योग्यता की समानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य को, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, निर्धारित करना है।

3.2 किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, नियोक्ता के रूप में राज्य वैध रूप से नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्य क्षमता और

अध्ययन के पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है जो योग्यता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। प्रशासन की आवश्यकताएं, यह सामान्य विधि है जो प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में राज्य सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए सामाजिक संरचना में रोजगार के अवसरों के सृजन की आवश्यकता होती है। ये सभी अनिवार्य रूप से नीतिगत मामले हैं।न्यायिक समीक्षा को सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए।

पी एम लता बनाम केरल राज्य (2003) 3 एस. सी. सी. 541:[2003] 2 एस. सी. आर. 653; योगेश कुमार बनाम सरकार ऐन. सी. टी. दिल्ली) (2003) 3 एससीसी 548:[2003] 2 एस. सी. आर. 662; पंजाब राज्य बनाम अनीता (2015) 2 एस. सी. सी. 170– पर निर्भर था।

ज्योति के. के बनाम केरल लोक सेवा आयोग (2010)15 एस. सी. सी 596–प्रतिष्ठित।

4. यह शर्त कि निर्धारित योग्यता नौकरी की न्यूनतम आवश्यकता है, इस बात पर जोर देती है कि यह एक आवश्यक शर्त है, एक सीमा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन के नोट 12 के तहत, बोर्ड उच्च योग्यता के लिए अतिरिक्त योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। क्या इस तरह का योग्यता निर्धारित किया जाना चाहिए, यह बोर्ड को निर्धारित करना है। एस. एस. एस. बी. ने उच्च योग्यता के लिए कोई अतिरिक्त महत्व निर्धारित नहीं किया। अधिकृत करने की शक्ति का प्रयोग न करने में, एस. एस. एस. बी. में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। एक सक्षम प्रावधान एक विवेक को अभिनिर्धारित करता है जिसका प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। एक उम्मीदवार को यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि बोर्ड को एक अधिदेश के रूप में उच्च योग्यता को अतिरिक्त महत्व देना चाहिए। नोट 12 में केवल यह अभिधारणा है कि केवल निर्धारित योग्यता रखने से उम्मीदवार को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। बोर्ड संबंधित पंक्तिया विषय में उच्च योग्यता को महत्व देकर योग्य उम्मीदवारों के बीच चयन कर सकता है। लेकिन नोट 12 में "जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है" शब्द इंगित करते हैं कि बोर्ड को एक सक्षम करने वाली शक्ति के अनुसरण में विवेकाधिकार निहित है जिसका वह प्रयोग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

5. उच्च न्यायालय की डिवीज़न खंडपीठ के एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलार्थिगण निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। डिवीज़न खंडपीठ के फैसले में कोई त्रुटी नहीं है।

6. अपीलार्थीगण ने 2013 में एस. एस. एस. बी. द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था। वे रिट कार्यवाही में अपने उपायों का पालन कर रहे थे जो अंततः 1 अगस्त 2017 के एकल न्यायाधीश के आदेश में समाप्त हुआ।लेटर्स पेटेंट अपील को 12 अक्टूबर 2017 को अनुमति दी गई थी।इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण को अगले दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने पर चार साल की सीमा तक आयु में छूट दी जानी चाहिए।अपीलार्थीगण को 30 नवंबर 2020 तक विज्ञापित किसी भी पद के लिए आयु में चार साल की छूट उपलब्ध होगी।

मामला कानून संदर्भ

[2003] 2 एससीआर 653	पैरा 11 पर निर्भर था।
(2010) 15 एससीसी 596	प्रतिष्ठित पैरा 12
[2003] 2 एससीआर 662	पैरा 19 पर निर्भर था।
(2015) 2 एससीसी 170	पैरा 21 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील संख्या 11853–54

2017 के एलपीए (एसडब्ल्यू) नंबर 135 और 2017 के एलपीए (एसडब्ल्यू) नंबर 136 में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के दिनांक 12.10.2017 के फैसले और आदेश से।

2018 की सिविल अपील संख्या 11855 के साथ

शशांक त्रिपाठी, सुश्री कविता वाडिया, कौसर रजा फरीदी, संजय रस्तोगी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण के लिए।

रियाज अहमद जान, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. एम. कावूसा, सुश्री मंजुला गुप्ता, एम. शोएब आलम, उज्ज्वल सिंह, मोजाहिद करीम खान, मोहम्मद।नसीम मुगल, मनीष कुमार विक्की, राम नरेश यादव, शकील अहमद सैयद, मोहम्मद। परवेज डबास, उज़्मी ज़मील हुसैन, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.

सिविल अपील्स @एसएलपी (सी) क्रमांक 30797–30798/2017:

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 12 अक्टूबर 2017 के फैसले से उत्पन्न होती हैं। लेटर्स पेटेंट अपील को अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को अपास्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप, निर्देश दिया कि रिट याचिकाएं खारिज हो जाएंगी।

3. 4 दिसंबर 1996 के एक सरकारी आदेश द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के विभिन्न विभागों में 23,297 पदों का सृजन किया गया था। विद्युत विकास विभाग में 5,330 नए पद सृजित किए गए, जिनमें तकनीशियन–III के 3,675 पद और जूनियर इंजीनियर के 200 पद शामिल हैं तकनीशियन –3 के पद के लिए योग्यता "आईटीआई के साथ मैट्रिक" थी। जूनियर इंजीनियर,के पद के लिए

योग्यता जो पदों के पदानुक्रम में उच्च रैंक करती है, एक बी ई (इलेक्ट्रिकल) / डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल) थी।

4. 23 फरवरी 2013 को, बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल सहित विभिन्न जिलों के लिए बिजली विकास विभाग में तकनीशियन–III के पदों को भरने के लिए जम्मू–कश्मीर राज्य सेवा चयन बोर्ड (SSSB) द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था।विज्ञापन के नोट 3 में निम्नलिखित शर्तें थीं, जिन्हें प्रत्येक आवेदक को पूरा करना आवश्यक थाः

(3) निर्धारित शैक्षिक/व्यावसायिक/तकनीकी योग्यता रखने वाले और आवेदन पत्र प्राप्त करने/जमा करने की अंतिम तिथि 31.3.2013 तक या उससे पहले अनुबंध में प्रत्येक पद के खिलाफ दर्शाई गई अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें।

विज्ञापन में नोट 12 में निम्नलिखित शर्त भी थीः

"12. निर्धारित योग्यताएँ नौकरी की न्यूनतम आवश्यकता को दर्शाती हैं और केवल उसका अधिकार किसी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं बनाएगा और बोर्ड द्वारा तय की जाने वाली प्रासंगिक पंक्ति/विषय में उच्च योग्यता को भी महत्व देगा।"

विज्ञापन के अनुलग्नक सी 1 में विज्ञापन दिए गए प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को निर्दिष्ट किया गया था।विद्युत विकास विभाग में तकनीशियन–III के पद के लिए निर्धारित योग्यता थीः

"प्रासंगिक व्यापार में आईटीआई के साथ मैट्रिक।"

5. अपीलार्थीगण ने तकनीशियन–III के पद के लिए आवेदन किया। प्रथम अपीलार्थी के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। अपीलार्थीगण 2, 3 और 4 के पास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में डिप्लोमा है। अपीलार्थीगण 5 और 6 के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। इनमें से किसी के पास भी आई. टी. आई. प्रमाणन नहीं है।

6. 14 अगस्त 2014 को एस. एस. एस. बी. द्वारा अयोग्य घोषित उम्मीदवारों की एक सूची अधिसूचित की गई थी। अपीलार्थीगण उस सूची का हिस्सा नहीं थे और उन्हें 23 अगस्त 2014 को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। 20 नवंबर 2014 को, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के उद्देश्य से एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना में निम्न श्रेणी को दर्शाया गया था – सामान्य या आरक्षित – जिसके तहत प्रत्येक उम्मीदवार पर विचार किया गया था।

साक्षात्कार, बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल जिलों के लिए आयोजित किए गए थे, जिसमें अपीलार्थीगण उपस्थित हुए थे।

7. 31 जनवरी 2015 को, एस. एस. एस. बी. ने अपनी 116 वीं बैठक आयोजित की, जिसमें कार्य सूची के विषयों में निम्न लिखित शामिल थेः

"एजेंडा नंबर 11: तकनीशियन–III (विद्युत विकास विभाग) के पद के लिए चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच के दौरान, यह देखा गया है कि साक्षात्कार समिति के संयोजक ने (कुछ जिलों में) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया है, जब कि कुछ अन्य जिलों में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले, एवं बी. ई. (इलेक्ट्रिकल) वाले उम्मीदवारों को विचाराधीन पद के लिए पात्रन होना घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार जिनके पास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक), इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर (गैस एवं आर्क), सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में आई.टी.आई ट्रेड है, उनका भी विचाराधीन पद के लिए साक्षात्कार लिया गया है।"

8. बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित है कि,बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:

"विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि केवल प्रासंगिक व्यापार में आई. टी. आई. अर्थात इलेक्ट्रिशन को ही विज्ञापन अधिसूचना में निर्धारित किए अनुसार विचार करना होगा।"

9. 23 अप्रैल 2015 को एक चयन सूची प्रकाशित की गई थी । अपीलार्थीगण को चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था। इस लोप का कारण यह है कि उनमें से किसी के पास भी आई. टी. आई. की योग्यता नहीं थी। अपने गैर–समावेशन से व्यथित, अपीलार्थीगण ने योग्यता सूची में अपनी स्थिति के आधार पर तकनीशियन–III के पद पर चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने के लिए रिट याचिका की कार्यवाही शुरू की। अपीलार्थीगण ने योग्यता में उनकी स्थिति पर विचार ना किए जाने से तीन जिलों के लिए बनाई गई चयन सूची को रद्द करने की मांग की और चयन सूची को फिर से तैयार करने की इच्छा व्यक्त की।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1 अगस्त 2017 के एक निर्णय द्वारा रिट याचिकाओं को इस आधार पर अनुमति दी कि चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपीलार्थीगण को उससे बाहर करने के लिए एस. एस. एस. बी. स्वतंत्र नहीं था और उन्हें लिखित परीक्षा के साथ–साथ साक्षात्कार के भी अधीन किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार में, चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता था, विशेषतः क्योंकि अयोग्य उम्मीदवारों की सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि डिप्लोमा– इलेक्ट्रिकल रखने वाला उम्मीदवार जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति का हकदार है, जो कि तकनीशियन–III के पद से ऊपर है। इसलिए, इस तर्क से, यदि अपीलार्थी एक उच्च पद धारण करने के लिए पात्र थे, तो उनकी योग्यता तकनीशियन–III के पद के लिए पर्याप्त थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से, आई. टी. आई. की मैट्रिक की निम्न योग्यता प्राप्त होना माना जाता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, चयन सूची को रद्द कर दिया गया और एस. एस. एस. बी. को अपीलार्थीगण और अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मेरिट के अनुसार इसे फिर से तैयार करने का निर्देश दिया गया। पुनर्निर्धारित चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर लेटर्स पेटेंट अपील्स में, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया। डिवीजन बेंच ने यह अभिनिर्धारित किया कि विज्ञापन में पात्रता की शर्त के रूप में संबंधित व्यापार में एक आई. टी. आई. को अनिवार्य माना गया है, और एस. एस. एस. बी. ने

नोट 12 के संदर्भ में उच्च योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया है। इसकेअतिरिक्त, एस. एस. एस. बी. ने 31 जनवरी 2015 को स्पष्ट रूप से निर्णय लिया था कि केवल मैट्रिक योग्यता के साथ प्रासंगिक व्यापार में आई. टी. आई. ही है, जो निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, खंडपीठ ने अन्य बातों के साथ–साथ इस न्यायालय के एक न्याय दृष्टांत **पी. एम. लता वि. केरल राज्य** [1]को आधार माना।

12. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री कविता वाडिया ने 23 फरवरी 2013 के विज्ञापन के नोट 12 में निहित प्रावधानों के महत्व पर प्रकाश डाला है। निवेदन किया है कि, आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक की निर्धारित योग्यता" नौकरी की न्यूनतम आवश्यकता" है और नोट में यह विचार किया गया है कि बोर्ड द्वारा तय की जाने वाली प्रासंगिक पंक्तिया विषय में उच्च योग्यता को महत्व दिया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात का आग्रह करते हुए अपनी दलीलों को पुष्ट किया हैः

(i)डिप्लोमा वास्तव में आई. टी. आई. की तुलना में उच्च योग्यता है; और

(ii) आई. टी. आई. धारक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश के हकदार हैं।

सुश्री वाडिया ने बोर्ड द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की एक श्रृंखला और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एक पार्श्व प्रविष्टि के साथ आई. टी. आई. की मार्कशीट पर भरोसा किया। अपने शोध के लिए काफी मात्रा में उद्योग को समर्पित करते हुए, सुश्री वाडिया ने बड़ी मेहनत से इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर एक संकलन के रूप में रखा है।सुश्री वाडिया ने अभिवचन किया कि तकनीशियन–III के रूप में नियुक्ति पाने के लिए डिप्लोमा धारक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि निषेध का आभाव नहीं है, विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि नोट 12 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्धारित योग्यताएं नौकरी की न्यूनतम आवश्यकता का गठन करती हैं और उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। यह उनके विचार में, यह स्थिति भी है जिसे बोर्ड ने **रविंदर सिंह बनाम राज्य**[2] मामले में अप्रैल 2001 में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक शपथ पत्र में अपनाया है। विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा उन कार्यवाहियों में पारित आदेशों पर भरोसा किया। अंतः में यह आग्रह किया गया कि **ज्योति के. के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग**[3] के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए कहा जा सकता है कि जहां किसी व्यक्ति ने उच्च योग्यता प्राप्त की है, यह पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाया जा सकता है।उच्च योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के अपवर्जन के अभाव में, यह अभिवाक किया गया कि डिप्लोमा धारक को तकनीशियन–III के पद के लिए आवेदन करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

13.दूसरी ओर, एस.एस.एस.बी. की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रियाज अहमद जान ने यह अभिवाक किया किः

---

[1] [1](2003) 3 SCC 541
[2] SWP 1706/2000 CMP No 2727/2000
[3] (2010) 15 SCC 596

(i) तकनीशियन–III के पद का सृजन करते समय, सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता 'आईटीआई के साथ मैट्रिक' की थी;

(ii) एस. एस. एस. बी. एक अधिनियम द्वारा निर्मित है और इसके प्रावधानों द्वारा शासित एक प्रतिबंधित अधिदेश है;

(iii) बोर्ड ने अपनी 116 वीं बैठक में संकल्प लिया कि विज्ञापन के संदर्भ में, केवल मैट्रिक के साथ आईटीआई के धारक ही इस पद के लिए पात्र होंगे।

(iv) उपरोक्त प्रस्ताव का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाना था।

(v) विज्ञापन का नोट 12 केवल एक सक्षम प्रावधान है जो बोर्ड को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से उच्च योग्यता को महत्व देने की अनुमति देता है;

(vi) बोर्ड ने ऐसे किसी भी एसे अभाव के विरुद्ध निर्णय लिया है;

(vii) अपीलार्थीगण के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है वह उचित है; और

(viii) बोर्ड ने स्पष्ट रूप से इस स्थिति के अनुसरण में कार्य किया है कि तकनीशियन III के पद के लिए निर्धारित योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है। डिप्लोमा धारक उस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

इन अभिवचनो को स्वीकार करते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शोएब आलम ने आग्रह किया कि एस. एस. एस. बी. ने 'खेल के नियमों' को मध्य–धारा में नहीं बदला, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सुझाव दिया था। इसके विपरीत, एसएसएसबी ने निर्धारित योग्यताओं की पुष्टि की थी।

14. 4 दिसंबर 1996 को, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने योजना और विकास विभाग के माध्यम से 23,297 पदों के सृजन के लिए अपनी मंजूरी को अधिसूचित किया।इनमें तकनीशियन–III का पद भी शामिल था। तकनीशियन–III के पद के लिए निर्धारित योग्यता "आईटीआई के साथ मैट्रिक" है।

15. जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम, 2010 की धारा 5 में प्रावधान है कि जिला, मंडल और राज्य संवर्ग के पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। धारा 6 में यह निर्धारित है कि:–

"धारा 6.जिला काडर के पदों पर नियुक्ति– एक व्यक्ति जिला काडर के पद पर नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह –

(i) राज्य का स्थायी निवासी है;

(ii) संबंधित जिले का निवासी है; और

(iii) ऐसे पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले नियमों/आदेशों के तहत निर्दिष्ट पद के लिए निर्धारित योग्यता, पात्रता और अनुभव रखता है।" (महत्व दिया गया)

16. 2010 के नियम अधिनियम[4] के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। नियम 6 सेवा चयन बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। बोर्ड का तीन–स्तरीय गठन है जिसमें राज्य स्तर, मंडल स्तर और जिला स्तर पर चयन समितियाँ शामिल हैं।नियम 13 विभिन्न संवर्गों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पात्रता की प्रक्रिया निर्धारित करता है।नियम 13 के उप–नियम (1) और (3) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"13. बोर्ड द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया और विभिन्न संवर्गों में आवेदन करने की पात्रता –

(1) बोर्ड, माँग प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट सभी राज्य संवर्ग रिक्तियों कि विज्ञप्ति देगा एवं राज्य के स्थायी निवासियों को उक्त पदों पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे जिनके पास ऐसे पदों के लिए निर्धारित योग्यता, पात्रता और अनुभव है।"

... ...

(3) बोर्ड के जिला कार्यालय, मांग प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट संबंधित जिले के जिला संवर्ग रिक्तियों कि विज्ञप्ति देंगे और राज्य के ऐसे स्थायी निवासियों को उक्त पदों पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे जो उस जिले के निवासी हैं और जिनके पास ऐसे पदों के लिए निर्धारित योग्यता, पात्रता और अनुभव है।"

नियम 14 (1) में चयन सूची तैयार करने का प्रावधान है:

"14. बोर्ड द्वारा चयनित सूचियों को तैयार करने की प्रक्रिया–(1) सेवा चयन बोर्ड उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा जो विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करते हैं। योग्य उम्मीदवारों कि मौखिक परीक्षा, बोर्ड की नामांकित चयन समिति द्वारा संचालित कि जावेगी। मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से कम और पाँच गुना से अधिक नहीं होगी। बोर्ड द्वारा अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों/अंकों में जोड़े गए मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों/अंकों के साथ–साथ किसी भी उच्च/अतिरिक्त/विशेष योग्यता (अनुपात के आधार पर) के लिए प्रदान किए जाने वाले वेटेज के आधार पर किया जाएगा।

पीठ ने कहा, "संबंधित समितियों द्वारा अंतिम रूप दी जाने वाली चयन सूची नियम 14 (4) के अंतर्गत बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ अधिग्रहण प्राधिकरण को अनुशंसित की जानी चाहिए। उक्त नियम इस प्रकार है:

(4) संबंधित समितियों द्वारा इस प्रकार अंतिम रूप दी गई चयन सूची उन रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी जिनके लिए मांग की गई थी और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ अधिग्रहण प्राधिकरण को इसकी अनुशंसा की जाएगी।"

[4] Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules, 2010

17. उपरोक्त प्रावधानों के साथ–साथ बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में, प्रत्येक उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक/पेशेवर/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए और अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना चाहिए। विद्युत विकास विभाग में तकनीशियन–III के पद के लिए निर्धारित योग्यता संबंधित ट्रेड में आईटीआई के साथ मैट्रिक है। बोर्ड ने अपनी 116 वीं बैठक में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुछ जिलों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, जबकि अन्य जिलों में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों को तकनीशियन–III के पद के लिए योग्य नहीं माना गया था। इसके अलावा, विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई वाले उम्मीदवारों का भी इस पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था। बोर्ड ने अपनी बैठक में संकल्प लिया कि केवल संबंधित व्यापार में एक आई. टी. आई. अर्थात् इलेक्ट्रिकल ट्रेड विज्ञापन में निर्दिष्ट निर्धारित योग्यता है।

18. विद्वान एकल न्यायाधीश को उन याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करने के लिए राजी किया गया जिन्होंने मुख्य रूप से दो आधारों पर रिट याचिका दायर की थी। पहला यह था कि बोर्ड ने चयन प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव किया था। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित करने में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से त्रुटि कि थी। बोर्ड ने मध्य चयन को नियंत्रित करने वाले नियमों या मानदंडों में कोई बदलाव बीच में नहीं किया।मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के पद के लिए निर्धारित आवश्यकता से कोई विचलन नहीं था।वास्तव में बोर्ड ने विज्ञापन में निर्धारित योग्यता का पालन करने का संकल्प लिया। एक विसंगत स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप, निर्धारित योग्यताओं के बावजूद, कुछ जिलों में डिप्लोमा धारकों के साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन था और बोर्ड द्वारा इसे ठीक किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ दूसरा आधार यह था कि डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियर के उच्च पद के लिए पात्र है और इसलिए डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार को आईटीआई की निम्न योग्यता रखने के लिए "पूर्व–अनुमानित" होना चाहिए। यह तर्क ज्योति के. के. (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गयी, दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर आधारित प्रतीत होता है। ज्योति के. के. में निर्णय का उल्लेख करने से पहले, इस विषय पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

19. पी. एम. लता (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि बी. एड. योग्यता प्रशिक्षित शिक्षक प्रमाणपत्र (टी. टी. सी.) की तुलना में उच्च योग्यता है और बी. एड. उम्मीदवार को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य माना जाना चाहिए।इस न्यायालय ने कहाः

"10. हम प्रत्यर्थीगणओं द्वारा दिए गए इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं कि बीएड योग्यता टीटीसी की तुलना में उच्च योग्यता है और इसलिए, बीएड उम्मीदवारों को पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य माना जाना चाहिए।अपीलार्थीगण की ओर से, हमारे सामने यह ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक प्रमाण पत्र प्राथमिक कक्षाओं में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को दिया जाता है, जबकि बीएड डिग्री के लिए, प्राथमिक से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए बी. एड. डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त योग्यता रखने वाला नहीं माना जा सकता है। चाहे किसी विशेष पद के लिए, भर्ती का स्रोत टीटीसी योग्यता या बीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों से होना चाहिए, यह भर्ती नीति का विषय है। हम राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए योग्यता को केवल टी. टी.

सी. न कि बी. एड. के रूप में निर्धारित करने में पर्याप्त तर्क और औचित्य पाते हैं । क्या प्राथमिक शिक्षकों के लिए बी. एड. योग्यता भी निर्धारित की जा सकती है, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए, लेकिन हम विज्ञापित वर्तमान रिक्तियों के लिए बी. एड. उम्मीदवारों को योग्य नहीं मान सकते हैं।"[5]

[योगेश कुमार बनाम सरकार (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) को भी देखें][6]

20. ज्योति के. के. में निर्णय एक ऐसे मामले से उत्पन्न होता है जहां लोक सेवा आयोग ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड में उप–अभियंता (विद्युत) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।इस पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ इस प्रकार थी–

"1. एस. एस. एल. सी. या इसके समकक्ष।

2. तकनीकी योग्यताएं –

(ए) अध्ययन के 3 साल के पाठ्यक्रम के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा,

(बी) केरल राज्य विद्युत बोर्ड के तहत पांच साल की सेवा के साथ नीचे दिखाए गए किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी स्कूल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रमाण पत्र,

(ग) विद्युत प्रकाश और बिजली (उच्चतर) में एम. जी. टी. ई./ के. जी. टी. ई. बोर्ड के तहत द्वितीय श्रेणी पर्यवेक्षक (विद्युत) के रूप में पांच साल के अनुभव के साथ।"

अपीलार्थीगण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के धारक थे ।लोक सेवा आयोग ने माना कि वे चयन के लिए पात्र नहीं थे।केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1956 के नियम 10 (ए) (ii) में निम्नलिखित शर्त थी:

"10. (क) (ii) इन नियमों या विशेष नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कार्यकारी आदेशों या सरकार के स्थायी आदेशों द्वारा विशेष नियमों में किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त योग्यताएँ और वे उच्च योग्यताएँ जो पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाती हैं, वे भी पद के लिए पर्याप्त हो।" (भार दिया गया)

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नियम 10 (ए) का अर्थ लगाते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब प्रासंगिक नियमों के तहत कोई योग्यता निर्धारित की गई है, तो उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है और एक अलग योग्यता को अपनाया नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय का यह कहना भी उचित है कि उच्च योग्यता को स्पष्ट रूप से उस पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण का

[5] id at page 546
[6] (2003) 3 SCC 548

संकेत या पूर्वधारणा करनी चाहिए ताकि नियम के उस हिस्से को इस प्रभाव से आकर्षित किया जा सके कि उन उच्च योग्यताओं में से जो पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यताओं के अधिग्रहण का अनुमान लगाती हैं, वे भी पद के लिए पर्याप्त होंगी।यदि किसी व्यक्ति ने उसी संकाय में उच्च योग्यता प्राप्त की है, तो ऐसी योग्यताओं को निश्चित रूप से पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यताओं के अधिग्रहण को पूर्व निर्धारित करने के लिए कहा जा सकता है।इस मामले में दूर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।"[7]

"8. प्रासंगिक नियमों के तहत, सहायक अभियंता के पद के लिए, केरल विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या अन्य मान्यता प्राप्त या समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है।उच्च पद के लिए जब सीधी भर्ती करनी होती है अभिनिर्धारित, जो योग्यता प्राप्त की जानी है, वह स्पष्ट रूप से एक संकेत देती है कि ऐसी योग्यता निश्चित रूप से निम्न पद, अर्थात् उप–अभियंता के पद के लिए निर्धारित योग्यता से अधिक है। इस मामले को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता यह मानती है कि पद के लिए निर्धारित विषय में डिप्लोमा की निम्न योग्यता का अधिग्रहण उस पद के लिए पर्याप्त माना जाएगा।"[8]

न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया गया है।

21. **पंजाब राज्य बनाम अनीता** [9]के निर्णय में दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा ज्योति के. के. के निर्णय पर विचार किया गया है ।उस मामले में जे. बी. टी./ई. टी. टी. योग्य शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।नियमों के तहत, जे. बी. टी. शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यता में जे. बी. टी. प्रशिक्षण में दो साल के पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिक और मैट्रिक मानक या उसके समकक्ष पंजाबी और हिंदी का ज्ञान शामिल था।इस न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रत्यर्थीगण के पास निर्धारित योग्यता नहीं है और एमए, एमएससी या एमकॉम को 'उच्च योग्यता' के रूप में नहीं माना जा सकता है।ज्योति के. के. के निर्णय को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने नोट किया कि उस मामले में नियम 10 (ए) (ii) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि उच्च योग्यता का अधिकार पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व–मान सकता है। इस तरह की शर्त के अभाव में, यह माना गया कि इस तरह की परिकल्पना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है:

"15. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर यह दावा किया जाना चाहिए कि चूंकि निजी प्रत्यर्थीगणओं के पास उच्च योग्यता है, इसलिए जे. बी. टी./ई. टी. टी. की योग्यता, उन्हें जे. बी. टी./ई. टी. टी. शिक्षकों के पदों के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाला माना जाना चाहिए। निजी प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि सांविधिक नियम जिन्हें इस न्यायालय द्वारा ज्योति के. के. के मामले में उपरोक्त टिप्पणियों को दर्ज करते समय ध्यान में रखा गया था [ज्योति के. के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग, (2010) 15 एससीसी 596], उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति दी। सांविधिक नियम में निजी प्रत्यर्थीगणओं के लिए

[7] Id at page 598
[8]id at page 599

[9](2015) 2 SCC 170

9

विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया निर्णय, यहाँ नीचे दिया गया हैः(एस. सी. सी. पी. 598, पैरा 6)

"6. नियम 10 (ए) (ii) इस प्रकार हैः

'10.(क) (ii) इन नियमों या विशेष नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कार्यकारी आदेशों या सरकार के स्थायी आदेशों द्वारा किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यताएँ और वे उच्च योग्यताएँ जो पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को मानती हैं, वे भी पद के लिए पर्याप्त होंगी। (भार दिया गया)

नियम के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उच्च योग्यता का अधिकार पदों के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाएगा।जहां तक वर्तमान विवाद का संबंध है, उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति को अधिकृत करने वाला ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है ।"[10] (भार दिया गया)

22. हम उस व्याख्या के साथ सहमति में हैं जो अनीता (सूपरा) में बाद के निर्णय में ज्योति के. के. में निर्णय पर रखी गई है। ज्योति के. के. में निर्णय ने नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों को बदल दिया। इस तरह के नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं होगी कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से किसी अन्य योग्यता के अधिग्रहण से पहले होती है, भले ही वह कम हो। किसी पद के लिए योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन भर्ती नीति का विषय है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। यह निर्धारित योग्यताओं के दायरे में विस्तार करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह, किसी योग्यता की समानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य के लिए, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, निर्धारित करने का विषय है। ज्योति के. के. में निर्णय ने एक विशिष्ट वैधानिक नियम को चालू कर दिया जिसके तहत एक उच्च योग्यता का धारण कम योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व–मान सकता है। वर्तमान मामले में इस तरह के नियम की अनुपस्थिति अंतिम परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। मामले के इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट कर और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि अपीलार्थीगण निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे, उचित ठहराया । हम डिवीजन बेंच के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

23. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, नियोक्ता के रूप में राज्य वैध रूप से नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता और पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। प्रशासन की आवश्यकताएं, यह साधारण कानून है, प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में राज्य सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए सामाजिक संरचना में रोजगार के अवसरों के सृजन की आवश्यकता होती है। ये सभी अनिवार्य रूप से नीतिगत मामले हैं। न्यायिक

[10] id at page 177

समीक्षा को सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। यही कारण है कि ज्योति के. के. के निर्णय को एक विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसके तहत एक उच्च योग्यता को धारण करना जो कम योग्यता के अधिग्रहण को मानता है, इस पद के लिए पर्याप्त माना जाता था। ज्योति केके का निर्णय विशिष्ट नियम के संदर्भ में बदल गया।

24. सुश्री वाडिया ने इस तथ्य से पोषण प्राप्त करने की मांग की कि आई. टी. आई. प्रमाणन धारक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश प्राप्त कर सकता है।हालांकि, इस मामले का मुद्दा यह है कि अपीलार्थीगण में से कोई भी उन उम्मीदवारों के विवरण में फिट नहीं बैठता है जिन्होंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश लेने से पहले आईटीआई प्रमाणन प्राप्त किया था। स्पष्ट रूप से, जब मैट्रिक के साथ एक आई. टी. आई. की आवश्यकता होती है, तो एक व्यक्ति जिसके पास वह योग्यता नहीं है, वह पात्र नहीं है।

25. सुश्री वाडिया द्वारा आग्रह किए गए नोट 12 पर आधारित प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह शर्त कि निर्धारित योग्यता नौकरी की न्यूनतम आवश्यकता है, इस बात पर जोर देती है कि यह एक आवश्यक आवश्यकता है, एक सीमा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। नोट 12 के तहत, बोर्ड उच्च योग्यता के लिए अतिरिक्त महत्व निर्धारित करने का हकदार है। क्या इस तरह का महत्व निर्धारित किया जाना चाहिए, यह बोर्ड को निर्धारित करना है। एस.एस.एस.बी. ने उच्च योग्यता के लिए कोई अतिरिक्त महत्व निर्धारित नहीं किया। सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग न करने में, एस.एस.एस.बी. में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। एक सक्षम प्रावधान विवेकाधिकार को अभिनिर्धारित करता है जिसका प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। एक उम्मीदवार को यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि बोर्ड को एक अधिदेश के रूप में उच्च योग्यता को अतिरिक्त महत्व देना चाहिए। ऐसा करना है या नहीं, यह बोर्ड को तय करना है। नोट 12 में केवल यह अभिधारणा है कि केवल निर्धारित योग्यता रखने से उम्मीदवार को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। बोर्ड संबंधित पंक्ति या विषय में उच्च योग्यता को महत्व देकर योग्य उम्मीदवारों के बीच चयन कर सकता है। लेकिन नोट 12 में "जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है" शब्द इंगित करते हैं कि बोर्ड को एक सक्षम करने वाली शक्ति के अनुसरण में विवेकाधिकार निहित है जिसका वह प्रयोग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

26. अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री वाडिया ने हालांकि आग्रह किया कि वर्तमान मामले में एक अजीब स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि अपीलार्थीगण को शुरू में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी। अयोग्यता सूची में उनके नाम नहीं थे। सुश्री वाडिया ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण भविष्य में किसी भी आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए अब तक आयु वर्जित हो गए होंगे। अनुच्छेद 142 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि अपीलार्थीगण ने तकनीशियन ।।। की नौकरी के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने में लगभग चार साल बिताए हैं। वे विद्वान एकल न्यायाधीश के सामने भी सफल हुए थे। इसलिए, अपीलार्थीगण को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें उनके मामले में आयु में छूट के लिए एक उपयुक्त निर्देश द्वारा पूरा किया जा सकता है। जैसा कि हमने इस निर्णय के पहले भाग में उल्लेख किया है, अपीलार्थीगण ने 2013 में एस.एस.एस.बी. द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था। वे रिट कार्यवाही में अपने उपायों का पालन कर रहे थे जो अंततः 1 अगस्त

2017 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश द्वारा समाप्त हुआ। लेटर्स पेटेंट अपील को 12 अक्टूबर 2017 को अनुमति दी गई थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थीगण को अगले दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने पर चार साल की सीमा तक आयु में छूट दी जानी चाहिए। अपीलार्थीगण को 30 नवंबर 2020 तक विज्ञापित किसी भी पद के लिए चार साल की आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट के संबंध में उपरोक्त निर्देश को छोड़कर, हमने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

2018 की सिविल अपील संख्या 11855 @ 2017 की एसएलपी (सी) क्रमांक 31196:

27. अनुज्ञा दे दी गई।

28. इस अपील का निपटारा उसी नियम, शर्तों, टिप्पणियों और निर्देशों के अधीन किया जाता है जैसा कि 2017 की सिविल अपील क्रमांक 2018@एसएलपी (सी) संख्या 30797–30798 में किया गया है।

अपीलों का निपटारा किया गया।